



**Gi Group
India**



Compliance Newsletter

We take privilege in sharing with you March' 2021 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications and amendments.



Contents

Minimum Wages Revision_____	4-16
Notifications, Circulars and Amendments_____	16-17
Additional directives for Implementation at workplaces _____	18
Disclaimer Contact Information _____	19
Annexure _____	20-78

Dear Reader,

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring to you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Chhattisgarh, Bihar and Karnataka

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of March '2021

Read further to know more!

Best Regards,

Gi Group

Minimum Wages Revisions

The Chhattisgarh Minimum Wages Notification

The Government of Chhattisgarh vide notification no/08/2020/4502, has revised the VDA effective from 1st April 2021 to 30th September 2021. Please refer below rates of wages and also the notification appended herewith for detailed information.

State: Chhattisgarh

Effective Date: 01/04/2021

Category: Various including Shops & Commercial Establishment

Category	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	A	8320	1400	9720
	B	8060	1400	9460
	C	7800	1400	9200
Semi-Skilled	A	8970	1400	10370
	B	8710	1400	10110
	C	8450	1400	9850
Skilled	A	9750	1400	11150
	B	9490	1400	10890
	C	9230	1400	10630
Highly-Skilled	A	10530	1400	11930
	B	10270	1400	11670
	C	10010	1400	11410

The Bihar Minimum Wages Notification

The Government of Bihar vide notification No. 5/MW-40-16/2021/1232, has revised the VDA effective from 1st April 2021. Please refer below rates of wages and also the notification appended herewith for detailed information.

State: Bihar				
Effective Date: 01/04/2021				
Nature of Employment: 69 Scheduled Employment including Commercial Establishment				
Category	01/10/2020 to 31/03/2021	01/04/2021 to 30/09/2021	Increase Amount	Increase %
Unskilled	7592	7904	312	4.11%
Semi-Skilled	7904	8216	312	3.95%
Skilled	9620	10010	390	4.05%
Highly Skilled	11726	12220	494	4.21%
Supervisory/Clerical	8363	8703	340	4.07%

The Karnataka Minimum Wages Notification

The Government of Karnataka vide Notification No. DES/01PWX/04/2021 has released the enhanced consumer price index for 2021 for calculating the variable dearness allowance effective 1st April 2021 to 31st March 2022. Please refer the notification appended herewith and table below for detailed information.

State: Karnataka					
Effective Date: 01/04/2021					
Category: Shops & Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Designation	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Highly Skilled	Zone I	Pharmacist & Chemist	15423	1723	17147
Highly Skilled	Zone II	Pharmacist & Chemist	14689	1723	16412

Highly Skilled	Zone III	Pharmacist & Chemist	13989	1723	15713
Highly Skilled	Zone IV	Pharmacist & Chemist	13323	1723	15047
Highly Skilled	Zone I	Technical Supervisor	15423	1723	17147
Highly Skilled	Zone II	Technical Supervisor	14689	1723	16412
Highly Skilled	Zone III	Technical Supervisor	13989	1723	15713
Highly Skilled	Zone IV	Technical Supervisor	13323	1723	15047
Highly Skilled	Zone I	Other High Skilled	15423	1723	17147
Highly Skilled	Zone II	Other High Skilled	14689	1723	16412
Highly Skilled	Zone III	Other High Skilled	13989	1723	15713
Highly Skilled	Zone IV	Other High Skilled	13323	1723	15047
Skilled	Zone I	Salesmen/Sales Girl	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Salesmen/Sales Girl	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Salesmen/Sales Girl	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Salesmen/Sales Girl	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Compounder	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Compounder	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Compounder	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Compounder	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Photo-Artist	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Photo-Artist	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Photo-Artist	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Photo-Artist	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Photographer	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Photographer	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Photographer	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Photographer	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Watch Mechanic/Repairer	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Watch Mechanic/Repairer	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Watch Mechanic/Repairer	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Watch Mechanic/Repairer	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Radio Mechanic/Repairer	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Radio Mechanic/Repairer	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Radio Mechanic/Repairer	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Radio Mechanic/Repairer	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Tv Mechanic/Repairer	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Tv Mechanic/Repairer	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Tv Mechanic/Repairer	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Tv Mechanic/Repairer	12112	1723	13835

Skilled	Zone I	Optical Mechanic/Repairer	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Optical Mechanic/Repairer	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Optical Mechanic/Repairer	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Optical Mechanic/Repairer	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Skilled Labour In Lift Fixing Installing Establishment	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Skilled Labour In Lift Fixing Installing Establishment	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Skilled Labour In Lift Fixing Installing Establishment	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Skilled Labour In Lift Fixing Installing Establishment	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Technician/Mechanical	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Technician/Mechanical	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Technician/Mechanical	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Technician/Mechanical	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Instrument Shop Carpenter(Furniture Shop)	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Instrument Shop Carpenter(Furniture Shop)	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Instrument Shop Carpenter(Furniture Shop)	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Instrument Shop Carpenter(Furniture Shop)	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Polisher(Furniture Shop)	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Polisher(Furniture Shop)	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Polisher(Furniture Shop)	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Polisher(Furniture Shop)	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Refractionarian(Optical Shop)	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Refractionarian(Optical Shop)	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Refractionarian(Optical Shop)	12718	1723	14441

Skilled	Zone IV	Refractionarian(Optical Shop)	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Hair Dresser(In Hair Dressing Saloon)	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Hair Dresser(In Hair Dressing Saloon)	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Hair Dresser(In Hair Dressing Saloon)	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Hair Dresser(In Hair Dressing Saloon)	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Air Condition Plant Operator	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Air Condition Plant Operator	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Air Condition Plant Operator	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Air Condition Plant Operator	12112	1723	13835
Skilled	Zone I	Umbrella/Suitcase Maker	14021	1723	15744
Skilled	Zone II	Umbrella/Suitcase Maker	13354	1723	15077
Skilled	Zone III	Umbrella/Suitcase Maker	12718	1723	14441
Skilled	Zone IV	Umbrella/Suitcase Maker	12112	1723	13835
Semi-Skilled	Zone I	Bill Collector	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Bill Collector	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Bill Collector	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Bill Collector	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Bill Clerk	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Bill Clerk	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Bill Clerk	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Bill Clerk	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Godown Keeper	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Godown Keeper	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Godown Keeper	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Godown Keeper	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Booking Clerk	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Booking Clerk	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Booking Clerk	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Booking Clerk	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Assistant Sales Man/Sales Girl	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Assistant Sales Man/Sales Girl	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Assistant Sales Man/Sales Girl	11562	1723	13285

Semi-Skilled	Zone IV	Assistant Sales Man/Sales Girl	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Assistant Photo Artist	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Assistant Photo Artist	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Assistant Photo Artist	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Assistant Photo Artist	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Shop Assistant	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Shop Assistant	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Shop Assistant	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Shop Assistant	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Packer	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Packer	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Packer	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Packer	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Gas Supplier	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Gas Supplier	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Gas Supplier	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Gas Supplier	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Stove Repairer	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Stove Repairer	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Stove Repairer	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Stove Repairer	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Painter	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Painter	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Painter	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Painter	11011	1723	12734
Semi-Skilled	Zone I	Fruit Juice Or Lassi Maker In The Shops	12747	1723	14470
Semi-Skilled	Zone II	Fruit Juice Or Lassi Maker In The Shops	12140	1723	13863
Semi-Skilled	Zone III	Fruit Juice Or Lassi Maker In The Shops	11562	1723	13285
Semi-Skilled	Zone IV	Fruit Juice Or Lassi Maker In The Shops	11011	1723	12734
Unskilled	Zone I	Messenger	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Messenger	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Messenger	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Messenger	10010	1723	11733
Unskilled	Zone I	Weighing Man	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Weighing Man	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Weighing Man	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Weighing Man	10010	1723	11733

Unskilled	Zone I	Bicycle Fitter/Repairer	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Bicycle Fitter/Repairer	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Bicycle Fitter/Repairer	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Bicycle Fitter/Repairer	10010	1723	11733
Unskilled	Zone I	Workers Engaged In Drying, Storing, Washing, Ironing (In Laundry), Measuring, Loading And Unloading In Warehousing Godowns, Storerooms	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Workers Engaged In Drying, Storing, Washing, Ironing (In Laundry), Measuring, Loading And Unloading In Warehousing Godowns, Storerooms	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Workers Engaged In Drying, Storing, Washing, Ironing (In Laundry), Measuring, Loading And Unloading In Warehousing Godowns, Storerooms	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Workers Engaged In Drying, Storing, Washing, Ironing (In Laundry), Measuring, Loading And Unloading In Warehousing Godowns, Storerooms	10010	1723	11733
Unskilled	Zone I	Workers Engaged In Grinding Establishment Services	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Workers Engaged In Grinding Establishment Services	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Workers Engaged In Grinding Establishment Services	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Workers Engaged In Grinding Establishment Services	10010	1723	11733
Unskilled	Zone I	General Workers And Clerical Cadre	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	General Workers And Clerical Cadre	11036	1723	12759

Unskilled	Zone III	General Workers And Clerical Cadre	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	General Workers And Clerical Cadre	10010	1723	11733
Unskilled	Zone I	Gunny Stitcher	11588	1723	13311
Unskilled	Zone II	Gunny Stitcher	11036	1723	12759
Unskilled	Zone III	Gunny Stitcher	10511	1723	12234
Unskilled	Zone IV	Gunny Stitcher	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Manager/ Personal Officer	16423	1723	18146
Office Staff	Zone II	Manager/ Personal Officer	15688	1723	17411
Office Staff	Zone III	Manager/ Personal Officer	14989	1723	16712
Office Staff	Zone IV	Manager/ Personal Officer	14323	1723	16046
Office Staff	Zone I	Marketing Manager	16423	1723	18146
Office Staff	Zone II	Marketing Manager	15688	1723	17411
Office Staff	Zone III	Marketing Manager	14989	1723	16712
Office Staff	Zone IV	Marketing Manager	14323	1723	16046
Office Staff	Zone I	Office Supervisor Or Any Other Equivalent Position	16423	1723	18146
Office Staff	Zone II	Office Supervisor Or Any Other Equivalent Position	15688	1723	17411
Office Staff	Zone III	Office Supervisor Or Any Other Equivalent Position	14989	1723	16712
Office Staff	Zone IV	Office Supervisor Or Any Other Equivalent Position	14323	1723	16046
Office Staff	Zone I	Assistant Manager/ Assistant Personal Manager	15423	1723	17147
Office Staff	Zone II	Assistant Manager/ Assistant Personal Manager	14689	1723	16412
Office Staff	Zone III	Assistant Manager/ Assistant Personal Manager	13989	1723	15713
Office Staff	Zone IV	Assistant Manager/ Assistant Personal Manager	13323	1723	15047
Office Staff	Zone I	Senior Accountant And Any Other Equivalent Position	15423	1723	17147
Office Staff	Zone II	Senior Accountant And Any Other Equivalent Position	14689	1723	16412

Office Staff	Zone III	Senior Accountant And Any Other Equivalent Position	13989	1723	15713
Office Staff	Zone IV	Senior Accountant And Any Other Equivalent Position	13323	1723	15047
Office Staff	Zone I	Senior Clerk	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Senior Clerk	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Senior Clerk	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Senior Clerk	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Cashier	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Cashier	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Cashier	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Cashier	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Judgement Writer	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Judgement Writer	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Judgement Writer	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Judgement Writer	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Stenographer	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Stenographer	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Stenographer	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Stenographer	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Storekeeper	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Storekeeper	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Storekeeper	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Storekeeper	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Receptionist	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Receptionist	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Receptionist	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Receptionist	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Any Other Equivalent Position	14021	1723	15744
Office Staff	Zone II	Any Other Equivalent Position	13354	1723	15077
Office Staff	Zone III	Any Other Equivalent Position	12718	1723	14441
Office Staff	Zone IV	Any Other Equivalent Position	12112	1723	13835
Office Staff	Zone I	Junior Clerk	12747	1723	14470
Office Staff	Zone II	Junior Clerk	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Junior Clerk	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Junior Clerk	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Booking Clerk	12747	1723	14470

Office Staff	Zone II	Booking Clerk	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Booking Clerk	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Booking Clerk	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Computer Operator	12747	1723	14470
Office Staff	Zone II	Computer Operator	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Computer Operator	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Computer Operator	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Typist	12747	1723	14470
Office Staff	Zone II	Typist	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Typist	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Typist	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Telephone Operator	12747	1723	14470
Office Staff	Zone II	Telephone Operator	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Telephone Operator	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Telephone Operator	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Data Entry Operator And Any Equivalent Position	12747	1723	14470
Office Staff	Zone II	Data Entry Operator And Any Equivalent Position	12140	1723	13863
Office Staff	Zone III	Data Entry Operator And Any Equivalent Position	11562	1723	13285
Office Staff	Zone IV	Data Entry Operator And Any Equivalent Position	11011	1723	12734
Office Staff	Zone I	Peon	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Peon	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Peon	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Peon	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Watchman	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Watchman	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Watchman	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Watchman	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Lift Operator	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Lift Operator	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Lift Operator	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Lift Operator	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Office Boy	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Office Boy	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Office Boy	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Office Boy	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Attender	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Attender	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Attender	10511	1723	12234

Office Staff	Zone IV	Attender	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Helper	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Helper	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Helper	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Helper	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Dalayath Mazdoor	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Dalayath Mazdoor	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Dalayath Mazdoor	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Dalayath Mazdoor	10010	1723	11733
Office Staff	Zone I	Sweeper And Any Equivalent Position	11588	1723	13311
Office Staff	Zone II	Sweeper And Any Equivalent Position	11036	1723	12759
Office Staff	Zone III	Sweeper And Any Equivalent Position	10511	1723	12234
Office Staff	Zone IV	Sweeper And Any Equivalent Position	10010	1723	11733
Driver	Zone I	Heavy Vehicle Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Heavy Vehicle Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Heavy Vehicle Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Heavy Vehicle Driver	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Tractor Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Tractor Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Tractor Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Tractor Driver	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Multiaxle Vehicle Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Multiaxle Vehicle Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Multiaxle Vehicle Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Multiaxle Vehicle Driver	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Earth Mover Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Earth Mover Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Earth Mover Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Earth Mover Driver	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Crane Mounted Motorist	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Crane Mounted Motorist	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Crane Mounted Motorist	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Crane Mounted Motorist	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Road Roller Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Road Roller Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Road Roller Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Road Roller Driver	12112	1723	13835

Driver	Zone I	Road Construction Vehicle Driver	14021	1723	15744
Driver	Zone II	Road Construction Vehicle Driver	13354	1723	15077
Driver	Zone III	Road Construction Vehicle Driver	12718	1723	14441
Driver	Zone IV	Road Construction Vehicle Driver	12112	1723	13835
Driver	Zone I	Car Driver	12747	1723	14470
Driver	Zone II	Car Driver	12140	1723	13863
Driver	Zone III	Car Driver	11562	1723	13285
Driver	Zone IV	Car Driver	11011	1723	12734
Driver	Zone I	Jeep Driver	12747	1723	14470
Driver	Zone II	Jeep Driver	12140	1723	13863
Driver	Zone III	Jeep Driver	11562	1723	13285
Driver	Zone IV	Jeep Driver	11011	1723	12734
Driver	Zone I	Light Motor Vehicle Driver	12747	1723	14470
Driver	Zone II	Light Motor Vehicle Driver	12140	1723	13863
Driver	Zone III	Light Motor Vehicle Driver	11562	1723	13285
Driver	Zone IV	Light Motor Vehicle Driver	11011	1723	12734
Driver	Zone I	Tumtum Vehicle Driver	11588	1723	13311
Driver	Zone II	Tumtum Vehicle Driver	11036	1723	12759
Driver	Zone III	Tumtum Vehicle Driver	10511	1723	12234
Driver	Zone IV	Tumtum Vehicle Driver	10010	1723	11733
Driver	Zone I	Three Wheeler Vehicle Driver	11588	1723	13311
Driver	Zone II	Three Wheeler Vehicle Driver	11036	1723	12759
Driver	Zone III	Three Wheeler Vehicle Driver	10511	1723	12234
Driver	Zone IV	Three Wheeler Vehicle Driver	10010	1723	11733
Field Staff	Zone I	Security Officer - Security Services	12360	2632	14992
Field Staff	Zone II	Security Officer - Security Services	12100	2632	14732
Field Staff	Zone I	Field Officer - Security Services	12360	2632	14992
Field Staff	Zone II	Field Officer - Security Services	12100	2632	14732
Field Staff	Zone I	Security Inspector - Security Services	11372	2632	14004
Field Staff	Zone II	Security Inspector - Security Services	11008	2632	13640

Field Staff	Zone I	Assistant Security Officer - Security Services	11372	2632	14004
Field Staff	Zone II	Assistant Security Officer - Security Services	11008	2632	13640
Field Staff	Zone I	Security Supervisor - Security Services	11372	2632	14004
Field Staff	Zone II	Security Supervisor - Security Services	11008	2632	13640
Field Staff	Zone I	Head Guard	11086	2632	13718
Field Staff	Zone II	Head Guard	10748	2632	13380
Field Staff	Zone I	Intelligence And Fire Fighting	11086	2632	13718
Field Staff	Zone II	Intelligence And Fire Fighting	10748	2632	13380
Field Staff	Zone I	Security Guard	10350	2632	12982
Field Staff	Zone II	Security Guard	10012	2632	12644
Field Staff	Zone I	Lady Guard - Security Services	10350	2632	12982
Field Staff	Zone II	Lady Guard - Security Services	10012	2632	12644

Notifications/Circulars/Amendments

One Time Relaxation in Contributory Condition for Entitlement to Receive Medical Benefit under ESIC

The Employees State Insurance Corporation vide notification no; F.No.V-14/11/6/2018/Med.I Misc has granted one-time relaxation in entitlement criteria for ESI scheme contribution while assessing eligibility for medical benefits. As per the Notification, for all practical purpose, while processing entitlement for medical benefit including super-specialty treatment services of a pre-existing ESI beneficiary, it shall be assumed that contribution has been received during the contribution period with effect from 1st April 2020 to 30th September 2020 and there is no break in the contribution of fund towards ESI scheme during this period. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Introduction of Third-Party Certification Scheme under Various Labour Laws in Rajasthan

The Government of Rajasthan vide circular no.E.O.D.B/IR/Labour/Part-2/6280 has introduced a third-party certification scheme to simplify the business regulations under the ease of doing business reform. The third-party certification scheme is to be implemented under various labour laws as under:

- (1) The Beedi And Cigar Workers (Condition of Employment) Act, 1966,
- (2) The Rajasthan Contract Labour (Regulation And Abolition)Rule,1971
- (3) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
- (4) The Maternity Benefits Act, 1961
- (5) The Minimum Wages Act, 1948
- (6) The Employee Compensation Act, 1923
- (7) The Motor Transport Workers Act, 1961
- (8) The Payment of Wages Act, 1936
- (9) The Child Labour (Prohibition And Regulation) Act, 1986
- (10) The Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts,1958
- (11) The Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946
- (12) The Building And Other Construction Worker's Welfare Cess Act, 1996
- (13) The Payment of Gratuity Act, 1972
- (14) The Sales Promotion Employee(Condition Of Service)Act, 1976
- (15) The Payment of Bonus Act, 1965
- (16) The Industrial Disputes Act 1947
- (17) The Working Journalist and Other Newspaper Employees Act, 1955

In view of above, employers of any industrial establishments may adopt this third-party certification scheme. The Government may reject the Third-Party certification at any time on receiving any written complaint. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Amendment under the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962

The Government of Madhya Pradesh vide notification no. F.01-02-2020-A-xvi has amended the procedure for registration and grant of license under The Madhya Pradesh Factories Rules, 1962. As per the Amendment, registration for factories and licenses can be granted in Form no. 3 for a period up to ten years or more as prescribed by the State Government. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Mandating the Use of Central Inspection System in Karnataka

The Government of Karnataka vide circular no. KUM/DD/EODB/SBRAP/31/2020-21 has introduced Central Inspection System (CIS) to synchronize all the compliance-based inspection services under one system. The Central Inspection System module is hosted on the State single-window - ebiz portal (<http://kumcis.azurewebsites.net/>) for the following 4 departments:

- (1) Department of Factories, Boilers, Industrial Safety, and Health
- (2) Labour Department
- (3) Karnataka State Pollution Control Board and
- (4) Legal Metrology Department

The above-mentioned departments will issue a separate GO/Notification, mandating all inspection procedures through Central Inspection System only. The Central Inspection System (CIS) will be operationalized from 22nd March 2021. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Declaration of Paid Holiday in West Bengal on account of Legislative Assembly Election 2021

The Government of West Bengal has announced the schedule for General Elections to West Bengal Legislative Assembly, 2021 to be held in 8 phases as per the following schedule:

- 27th March 2021 (Saturday)
- 1st April 2021 (Thursday)
- 06th April 2021 (Tuesday)
- 10th April 2021 (Saturday)
- 17th April 2021 (Saturday)
- 22nd April 2021 (Thursday)
- 26th April 2021 (Monday)
- 29th April 2021 (Thursday)

Therefore, the Government has made it obligatory on the part of the employers of any business, trade, industrial undertaking, or any other establishment to grant a paid holiday to all categories of employees, workers who are entitled to cast vote in the election. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com

Address- D-6, Sector 10 Amaltash Road, Noida- 201301

Website- www.gigroup.co.in

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.04.2021 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2021 / 2121

रायपुर, दिनांक – 18.03.2021

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2020	1016	जुलाई 2020	1021
फरवरी 2020	1010	अगस्त 2020	1026
मार्च 2020	1007	सितम्बर 2020	1037
अप्रैल 2020	1014	अक्टूबर 2020	1052
मई 2020	1019	नवम्बर 2020	1060
जून 2020	1018	दिसम्बर 2020	1047
कुल	$\frac{6084}{6} = 1014$	कुल	$\frac{6243}{6} = 1041$

इनका औसत 1041 घोषित करता हूँ, जो कि अनुसूची- "क" कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4 / 2016 / 16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/2121, दिनांक 18.03.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1041 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 1014 (1986-87=100 जनवरी 2020 से जून 2020 के आधार आँकड़े) के ऊपर 27 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 27 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 5 रुपये के मान से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 5 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 135 या प्रतिदिन रुपये 4.5 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है। (अनुसूची-“क”)

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

आकड़े रूपये में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021							दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	810.00	27.00	7710.00	257.00 (257)	अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	945.00	31.50	7845.00	261.50 (262)



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।



(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2021 / 2122

रायपुर, दिनांक- 18.03.2021

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जनवरी 2020	330	जुलाई 2020	336
फरवरी 2020	328	अगस्त 2020	338
मार्च 2020	326	सितम्बर 2020	340
अप्रैल 2020	329	अक्टूबर 2020	344
मई 2020	330	नवम्बर 2020	345
जून 2020	332	दिसम्बर 2020	342
कुल	$\frac{1975}{6} = 329.17$ 329	कुल	$\frac{2045}{6} = 340.83$ 341

इनका औसत 341 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/2122, दिनांक 18.03.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है, जिसके कारण गत छःमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329.00 (2001=100 जनवरी 2020 से जून 2020 के आधार आँकड़े) के ऊपर (341-329) 12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के उपर प्रति छःमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 240 या प्रतिदिन रुपये 9.23 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा परिशिष्ट-"अ" के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची- ख एवं "ग" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्य में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्य के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट "ब" (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-


"अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्द्धकुशल कर्मचारी" वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

"कुशल कर्मचारी" वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (कमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप है न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना कमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब"–

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" –

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ख”

अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक)

(दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	1160.00	44.62	9480.00	364.62 (365)	अ	8320.00	320.00	1400.00	53.85	9720.00	373.85 (374)
		ब	8060.00	310.00	1160.00	44.62	9220.00	354.62 (355)	ब	8060.00	310.00	1400.00	53.85	9460.00	363.85 (364)
		स	7800.00	300.00	1160.00	44.62	8960.00	344.62 (345)	स	7800.00	300.00	1400.00	53.85	9200.00	353.85 (354)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	1160.00	44.62	10130.00	389.62 (390)	अ	8970.00	345.00	1400.00	53.85	10370.00	398.85 (399)
		ब	8710.00	335.00	1160.00	44.62	9870.00	379.62 (380)	ब	8710.00	335.00	1400.00	53.85	10110.00	388.85 (389)
		स	8450.00	325.00	1160.00	44.62	9610.00	369.62 (370)	स	8450.00	325.00	1400.00	53.85	9850.00	378.85 (379)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	1160.00	44.62	10910.00	419.62 (420)	अ	9750.00	375.00	1400.00	53.85	11150.00	428.85 (429)
		ब	9490.00	365.00	1160.00	44.62	10650.00	409.62 (410)	ब	9490.00	365.00	1400.00	53.85	10890.00	418.85 (419)
		स	9230.00	355.00	1160.00	44.62	10390.00	399.62 (400)	स	9230.00	355.00	1400.00	53.85	10630.00	408.85 (409)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	1160.00	44.62	11690.00	449.62 (450)	अ	10530.00	405.00	1400.00	53.85	11930.00	458.85 (459)
		ब	10270.00	395.00	1160.00	44.62	11430.00	439.62 (440)	ब	10270.00	395.00	1400.00	53.85	11670.00	448.85 (449)
		स	10010.00	385.00	1160.00	44.62	11170.00	429.62 (430)	स	10010.00	385.00	1400.00	53.85	11410.00	438.85 (439)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।

(अलेक्स पॉल मेनन)


श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता।
(दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक) (दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		जो न का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	1160.00	38.67	9480.00	316.00 (316)	अ	8320.00	277.33	1400.00	46.67	9720.00	324.00 (324)
		ब	8060.00	268.67	1160.00	38.67	9220.00	307.33 (307)	ब	8060.00	268.67	1400.00	46.67	9460.00	315.33 (315)
		स	7800.00	260.00	1160.00	38.67	8960.00	298.67 (299)	स	7800.00	260.00	1400.00	46.67	9200.00	306.67 (307)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	1160.00	38.67	10130.00	337.67 (338)	अ	8970.00	299.00	1400.00	46.67	10370.00	345.67 (346)
		ब	8710.00	290.33	1160.00	38.67	9870.00	329.00 (329)	ब	8710.00	290.33	1400.00	46.67	10110.00	337.00 (337)
		स	8450.00	281.67	1160.00	38.67	9610.00	320.33 (320)	स	8450.00	281.67	1400.00	46.67	9850.00	328.33 (328)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	1160.00	38.67	10910.00	363.67 (364)	अ	9750.00	325.00	1400.00	46.67	11150.00	371.67 (372)
		ब	9490.00	316.33	1160.00	38.67	10650.00	355.00 (355)	ब	9490.00	316.33	1400.00	46.67	10890.00	363.00 (363)
		स	9230.00	307.67	1160.00	38.67	10390.00	346.33 (346)	स	9230.00	307.67	1400.00	46.67	10630.00	354.33 (354)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	1160.00	38.67	11690.00	389.67 (390)	अ	10530.00	351.00	1400.00	46.67	11930.00	397.67 (398)
		ब	10270.00	342.33	1160.00	38.67	11430.00	381.00 (381)	ब	10270.00	342.33	1400.00	46.67	11670.00	389.00 (389)
		स	10010.00	333.67	1160.00	38.67	11170.00	372.33 (372)	स	10010.00	333.67	1400.00	46.67	11410.00	380.33 (380)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


 (अलेक्स पॉल मेनन)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2021 / 2123

रायपुर, दिनांक – 18.03.2021

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं अलेक्स पॉल मेनन श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2020	1528	जुलाई 2020	1556
फरवरी 2020	1519	अगस्त 2020	1565
मार्च 2020	1509	सितम्बर 2020	1574
अप्रैल 2020	1523	अक्टूबर 2020	1593
मई 2020	1528	नवम्बर 2020	1597
जून 2020	1537	दिसम्बर 2020	1583
कुल	$\frac{9144}{6} = 1524$	कुल	$\frac{9468}{6} = 1578$

अतः विगत छः माहों का औसत 1578 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4 / 2016 / 16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)


श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/2123, दिनांक 18.03.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1578 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि 293 औसत बिन्दुओं (1578-1285=293 पाईट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 3.66 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता एवं तदनुरूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।


(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची - "ई"

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु० 26.96	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 3.66) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	30.62
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रु० 27.66	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 3.66) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	31.32
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।			
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के				
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 2.93) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	24.98
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 2.93) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.69
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 2.93) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.69
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.89	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 3.66) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	32.55
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 38.79	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 4.89) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	43.68
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 44.57	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 5.86) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	50.43
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 5.86) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	51.73
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 56.41	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (रु. 7.33) (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	63.74
सिलोफेन या जिलेटिन के				
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 2.93) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.69
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 3.66) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	32.03
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 36.30	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 4.89) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	41.19
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 37.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 4.89) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	41.94

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 39.15	पैसे (रु. 4.89) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	44.04
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे (रु. 5.86) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	51.73
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 54.99	पैसे (रु. 7.33) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	62.32
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 57.81	पैसे (रु. 7.33) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	65.14

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।


बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.29	पैसे (रु. 2.44) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	20.73
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.96	पैसे (रु. 2.44) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	21.40
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 22.73	पैसे (रु. 2.93) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.66
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 23.46	पैसे (रु. 2.93) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.39
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे (रु. 3.66) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	32.03
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 30.11	पैसे (रु. 3.66) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.77

(ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.22	पैसे (रु. 0.59) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	4.81
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.80	पैसे (रु. 0.64) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.44
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति सैकड़ा	रु० 7.32	पैसे (रु. 0.97) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	8.29

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।


(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2020 / 4504

रायपुर, दिनांक 29.09.2020

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलेक्स पॉल मेनन श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2019	7281.46
अगस्त 2019	7304.29
सितम्बर 2019	7349.94
अक्टूबर 2019	7418.42
नवम्बर 2019	7486.90
दिसम्बर 2019	7532.55
जनवरी 2020	7532.55
फरवरी 2020	7486.90
मार्च 2020	7441.24
अप्रैल 2020	7509.72
मई 2020	7532.55
जून 2020	7578.20
कुल	89454.70 = 7454.56 12 = 7455

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **7455** घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक देय रहेगा।



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2020/4504, दिनांक 29.09.2020 के अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7455 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2019 से जून 2020 तक की अवधि में 7455 (7455-6321=1134 पाईट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 11.34 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक देय है। (अनुसूची "फ")

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक देय है।

(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	11.34	रु0 107.58 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 602.45 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 602.45 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 5.67) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	58.85
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 5.67) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	62.02
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 5.67) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	53.73
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 4.25) 1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार	39.45
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.42) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	14.52
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.42) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	14.86
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 22.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	221.56
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 22.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	238.70
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 22.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	238.70


नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छॉटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन) एकाऊंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छॉटने या जांच करने वाले, भट्टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।


(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2020 To 30.09.2021

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2020

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	11.34
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	5.38
4	Tatal Wages	112.96
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	9.41
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	11.30
7	Total	133.66
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	11.30
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	11.30
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9)	111.07



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियों सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(अलेक्स पॉल मेनन)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2021 / 2124

रायपुर, दिनांक 18.03.2021

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0/303/आर/577/97/नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
36. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
41. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
42. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
45. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
47. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
48. नियंत्रक, नाप-तौल विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
49. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

53. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
54. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
55. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
56. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
58. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
59. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
60. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
61. संचालक, कृषि विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
62. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
63. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
64. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
65. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
66. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
67. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
68. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर , छत्तीसगढ़ ।
69. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।


70. संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
71. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
72. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
73. संचालक, मत्स्योद्योग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
74. मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं सतर्कता, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
75. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
76. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
77. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
78. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
79. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
80. आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
81. संचालक, सैनिक कल्याण, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
82. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, से.-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।
83. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
86. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
87. संभाग आयुक्त, जिला-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा (राजस्व संभाग) ।
88. सचिव, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन-13, जलविहार कॉलोनी, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर ।

90. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर।
91. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, जल विहार कॉलानी, तेलीबांधा, रायपुर।
92. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सस हॉस्टल, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर।
93. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायगढ़ बाड़ा, सिविल लाईन, रायपुर।
94. सचिव, राज्य युवा आयोग, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर।
95. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, भगत सिंह चौक, शंकरनगर रोड, रायपुर।
96. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, गौरव पथ, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर।
97. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर, जिला-रायपुर।
98. सचिव, राजस्व मण्डल, नेहरू नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर।
99. संचालक उद्योग, उद्योग भवन, रिंग रोड नं., तेलीबांधा, रायपुर।
100. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के पास, रायपुर।
101. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, जी0ई0रायपुर।
102. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, पुलिस लाईन रायपुर, जिला- रायपुर।
103. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़।
104. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, के पास, रायपुर, जिला-रायपुर।
105. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अनुपम गार्डन, आयुर्वेदिक कालेज के पास, रायपुर।
106. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।
107. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
108. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
109. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर छत्तीसगढ़।
110. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर।
111. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।

112. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंडरी रोड, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
113. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
114. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
115. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
116. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, व्ही. आई. पी. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
119. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, काली माता मंदिर चौक, सिविल लाईन रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
120. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
121. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
122. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

133. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
142. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, द्वितीय तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. नगर घड़ी चौक, रायपुर।
154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।

156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रोहणीपुरम्, रिंग रोड, डीडी नगर, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अवंति विहार, रायपुर।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, समता कॉलोनी, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर।
165. समस्त अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
166. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
167. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही।
168. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला—रायपुर।
169. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर—चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
170. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
171. केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।



(अलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)
E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र.आ. / 2021 / 2125

दिनांक- 18.03.2021

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डी0पी0 सिंवासे)

उप श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0, रायपुर

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

एस0 ओ0— दिनांक— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) जुलाई एवं अगस्त तक (2016=100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2020	336	4.63 X 4.93	7669.50
अगस्त, 2020	338	4.63 X 4.93	7715.15
सितम्बर, 2020	118.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7763.72
अक्टूबर, 2020	119.5	4.63 X 4.93 X 2.88	7855.76
नवम्बर, 2020	119.9	4.63 X 4.93 X 2.88	7882.05
दिसम्बर, 2020	118.8	4.63 X 4.93 X 2.88	7809.74
योग :- 46695.92			

वर्ष 2020 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $46695.92 \div 6 = 7782.65$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -2619, 2620 दिनांक- 21.09.2020 गजट सं0-610 दि0-22.09.2020	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य		69-- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वक्स फर्नीचर (17) आइस्क्रिम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश

(40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक- 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2021 से प्रभावी होगी	01.04.2021 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00=292.00	12.00	304.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00=304.00	12.00	316.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00=370.00	15.00	385.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00=451.00	18.00	470.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00=8363.00	340.00	8703.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर,2020 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल,2021 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्ल्यू0-40-16/2021 अ0सं0-1231)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

पटना, दिनांक-

एस0ओ0

दिनांक

का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 अ0सं0-1232)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2001-100) For the Month July and August and then after Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2020	336	4.63 X 4.93	7669.50
August, 2020	338	4.63 X 4.93	7715.15
September, 2020	118.1	4.63 X 4.93 X 2.88	7763.72
October, 2020	119.5	4.63 X 4.93 X 2.88	7855.76
November, 2020	119.9	4.63 X 4.93 X 2.88	7882.05
December, 2020	118.8	4.63 X 4.93 X 2.88	7809.74
Total			46695.92
Second Half Yearly Average of the year 2020 July -December $46695.92 \div 6 = 7782.65$			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 2619,2620 Dated- 22.09.2020 Gazette No.- 610 Dated- 22.09.2020	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electrocasting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017+01.04.2018 + 01.10.2018 +01.04.2019+01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2021 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2021 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00=292.00	12.00	304.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00=304.00	12.00	316.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00=370.00	15.00	385.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00=451.00	18.00	470.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00=8363.00	340.00	8703.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2020** will be payable at the aforesaid rates from **1st April,2021** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 1231)

By the order of the Governor of Bihar,

Suryakant Mani
Suryakant Mani,
Deputy Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लार्डब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1232

पटना, दिनांक- 31.03.2021

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।



GOVERNMENT OF KARNATAKA

No:DES-01PWX/04/2021

Directorate of Economics and Statistics
7th Floor, M.S. Building,
Dr.B.R. Ambedkar Veedhi,
Bangalore-01 dated:11-02-2021.

Release of Karnataka State Annual Average consumer Price Index Numbers for Industrial Workers.

The State Annual Average of Consumer Prices Index Numbers for industrial workers for the year 2020 is as follows:

Karnataka State Annual Average(Base 1987-88=100)	938
Index converted to 1960 Base year (Linking factor 8.5)	7973

Note:- Karnataka State Annual Average consumer Price Index Numbers for the calendar year 2020 is based on the state monthly weighted average Index of the following 16 Cantles.

Central Series:-

1)Bangalore 2)Balgaum 3)Humbli-Dharwad 4)Madikeri 5)Mysore

State Series:

1)Bellary, 2)Bhaderavathi, 3)Devanagere 4)Dandeli 5)Gulbarga 6)Harihara 7)Hassan
8)Mandya 9)Mangalore 10)Raichur 11)Tumkur,

Sd/-
Director

"Copy"




GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF LABOUR

No.P&S/ MISC/CR-48/2020-21

Office of the
Commissioner of Labour in Karnataka,
Karmika Bhavana, Bannerghatta Road,
Bangalore-560 029, Dated: 17-02-2021.

Karnataka State Annual Average Consumer Price Index for 2019	7616
Karnataka State Annual Average Consumer Price Index for 2020	7973
Enhanced Consumer Price Index Policy for 2021 (With effect from 01-04-2021 to 30-03-2022)	357


Commissioner
Department of Labour

To,

- 1) All Deputy Labour Commissioners
- 2) All Assistant Labour Commissioners
- 3) All Labour Officers (to be circulated to all Senior Labour Inspector/Labour Inspectors of the jurisdiction)

169. Shops and Commercial Establishments

Notification No. KAE 20 LMW 2017, dated 30-12-2017

Published in Gazette dated 29-3-2018, Minimum Wages w.e.f. 30-12-2017

Cost of Living Allowance to be paid over and above 6537 points

Cost of Living Index: 7973 – 6537 = 1436 points

Minimum wages and VDA from 1-4-2021 to 31-3-2022

SCHEDULE

		ZONE-I		ZONE-II		ZONE-III		ZONE-IV	
		PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY
HIGH SKILLED WORKERS									
Pharmacist & Chemist	Basic	15,423.40	593.21	14,688.95	564.96	13,989.48	538.06	13,323.31	512.44
Technical Supervisor	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28
other high skilled	Total	17,146.60	659.49	16,412.15	631.24	15,712.68	604.34	15,046.51	578.72

1 Substituted for the words "SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS" by Notification No. KAE 47, LMW 2017, dated 10-8-2018.

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

SKILLED WORKERS									
Salesmen/ Sales Girl/ Compounder, Photo-artist Photographer Watch Mechanic/ Repairer Radio Mechanic / Repairer T V Mechanic/ Repairer T V Mechanic/ Repairer Optical Mechanic Repairer									
Skilled labour in lift fixing installing establishment Technician/ Mechanical Instrument shop, Carpenter (Furniture shop) Polisher (Furniture shop) Refractionarian man (Optical shop) Hair Dresser (in hair dressing saloon) Air condition plant operator Umbrella / Suitcase maker other skilled labourer	Basic VDA Total	14,021.27 1723.20 15,744.47	539.28 66.28 605.56	13,353.59 1723.20 15,076.79	513.60 66.28 579.88	12,717.71 1723.20 14,440.91	489.14 66.28 555.42	12,112.10 1723.20 13,835.30	465.85 66.28 532.13

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

UN-SKILLED WORKERS										
Messenger, Weighing man, Bicycle Fitter, Workers engaged in drying, storing, washing, Ironing (in Laundry), measuring, loading and unloading in warehousing godowns, storerooms, Workers engaged in grinding establishment Services, Gunny Bag Stitcher General workers (in all shops and commercial establishments other than in administration and clerical cadre and who are not covered in any of the above categories) other un-skilled labourer										
	Basic	11,587.83	445.69	11,036.03	424.46	10,510.50	404.25	10,010.00	385.00	
	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	
	Total	13,311.03	511.97	12,759.23	490.74	12,233.70	470.53	11,733.20	451.28	
OFFICE STAFF AND DRIVERS										
Manager, Personal Officer, Marketing Manager, Office Incharge and Equivalent Job	Basic	16,423.00	631.00	15,688.00	603.38	14,989.00	576.50	14,323.00	550.88	
	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	
	Total	18,146.20	697.28	17,411.20	669.66	16,712.20	642.78	16,046.20	617.16	
Assistant Manager, Assistant Personal Manager, Senior Accountant, and Equivalent Job	Basic	15,423.40	593.21	14,688.95	564.96	13,989.48	538.06	13,323.31	512.44	
	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	
	Total	17,146.60	659.49	16,412.15	631.24	15,712.68	604.34	15,046.51	578.72	

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

Senior Clerk, Cashier, Judgment Writer, Steno-grapher, Store-keeper, Receptionist and Equivalent Job	Basic VDA Total	14,021.27 1723.20 15,744.47	539.28 66.28 605.56	13,353.59 1723.20 15,076.79	513.60 66.28 579.88	12,717.71 1723.20 14,440.91	489.14 66.28 555.42	12,112.10 1723.20 13,835.30	465.85 66.28 532.13
Junior Clerk, Booking Clerk Computer Operator, Typist Telephone Operator Data Entry Operator and Equivalent Job	Basic VDA Total	12,746.61 1723.20 14,469.81	490.25 66.28 556.53	12,139.63 1723.20 13,862.83	466.91 66.28 533.19	11,561.55 1723.20 13,284.75	444.68 66.28 510.96	11,011.00 1723.20 12,734.20	423.50 66.28 489.78
Servant, Watchman, Lift Operator, Office Boy Attender, Helper, Dalayat, Mazdoor, Sweeper and Equivalent Job	Basic VDA Total	11,587.83 1723.20 13,311.03	445.69 66.28 511.97	11,036.03 1723.20 12,759.23	424.46 66.28 490.74	10,510.50 1723.20 12,233.70	404.25 66.28 470.53	10,010.00 1723.20 11,733.20	385.00 66.28 451.28

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

Heavy Vehicle Drivers																			
Tractor Drivers																			
Multi Axel and																			
Heavy Vehicle Drivers																			
Earth Movers Drivers	Basic	14,021.27	539.28	13,353.59	513.60	12,717.71	489.14	12,112.10	465.85										
Assembled Crane Drivers	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28										
Tractor Drivers	Total	15,744.47	605.56	15,076.79	579.88	14,440.91	555.42	13,835.30	532.13										
Road Roller and Road Constructing Vehicle Drivers																			
Car Driver	Basic	12,746.61	490.25	12,139.63	466.91	11,561.55	444.68	11,011.00	423.50										
Jeep Driver	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28										
Light Vehicle Drivers	Total	14,469.81	556.53	13,862.83	533.19	13,284.75	510.96	12,734.20	489.78										
Tum Tum Three Wheel Vehicle Drivers	Basic	11,587.83	445.69	11,036.03	424.46	10,510.50	404.25	10,010.00	385.00										
	VDA	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28	1723.20	66.28										
	Total	13,311.03	511.97	12,759.23	490.74	12,233.70	470.53	11,733.20	451.28										

Zone-I: Notified Areas under Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

Zone-II: ALL Notified Areas under Bruhat Bangalore Mahanagara Palike other than the areas mentioned in Zone - I

Zone-III: All District Places other than Areas Notified in Zone-I & Zone II.

Zone-IV: All other parts of the State other than Areas Notified in Zone-I, Zone II & Zone III.

VDA: In addition to the Basic wages, all Category of employees in the State shall be paid VDA @4 paise per point over and above 6537 points.



क.रा.बो.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय/HEADQUARTER
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



मुख्यालय/HEADQUARTER
पंचदीप भवन सीआईजी मार्ग नई दिल्ली-
110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg,
New Delhi- 110002
Phone: 011-23215489, VOIP: 10011037
Email: med1-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No.V-14/11/6/2018/Med.I Misc.

Dated 11.03.2021

To,

All Deans/MSs/D(M)D/D(M)N/Regional Directors
ESI Corporation

**Sub: One time relaxation in contributory condition for entitlement to
receive medical benefit including SST .**

Madam/Sir,

As you are aware that during on-going COVID-19 pandemic, ESI Corporation has taken number of measures so that IPs/beneficiaries face no difficulty in availing various benefits under ESI Scheme.

Since the start of nationwide lockdown in March 2020 last year, a number of ESI covered units were shut down resulting in non-payment of contribution towards ESI Scheme. Such ESI beneficiaries may face difficulty in availing medical benefit/ reimbursement of medical claims due to non-contribution.

Considering the potential hardship which may be faced by such beneficiaries it has been decided by the Competent Authority to grant one time relaxation in entitlement criteria for ESI Scheme contribution while assessing eligibility for medical benefits. Accordingly, for all practical purpose while processing entitlement for medical benefit including Super Speciality treatment services of a pre-existing ESI beneficiary, it shall be assumed that contribution has also been received during contributory period w.e.f. 1st April 2020 to 30th September 2020 and there is no break in contribution of fund towards ESI Scheme during this period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours sincerely

Dr. Naveen Saxena
OSD (Medical-I)

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.8(1)E.O.D.B/आई.आर./श्रम/2020 पार्ट-2/6280
आदेश

जयपुर, दिनांक 04.03.2021

राज्य के उद्योगों पर व्यवसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा Ease of doing business के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान प्रबंधन को निम्न श्रम विधियों में अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) की सुविधा प्रदान की जाती है:-

1. बीडी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966
2. ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970
3. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
4. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
7. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
8. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
9. बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986
10. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
11. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
12. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
13. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
14. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
15. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
16. विक्रय बढोतरी अधिनियम, 1976
17. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
18. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्तों) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

ऐसे उद्योग/संस्थापन यदि केन्द्रीय श्रम संगठनों (सीटू, बीएमएस, इंटक, एटक, एचएमएस व आरसीटू) से एक प्रतिनिधि तथा नियोजक संगठनो (एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व लघु उद्योग भारती) से एक प्रतिनिधि का चयन कर इन दो व्यक्तियों द्वारा श्रम विधियों की अनुपालना का अंकेक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विभागीय पोर्टल LDMS पर अपलोड करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।

उक्त अधिनियमों एवं संबंधित राजस्थान नियमों के अन्तर्गत अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) प्रस्तुत करने के लिए नियोजक/संस्थान प्रबंधन को निम्नानुसार शर्तों के अनुसार अधिकृत किया जाता है:-

1. दुर्घटनाओं/शिकायतों के मामलों में संस्थान का अन्य पक्ष प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
2. श्रम निरीक्षक द्वारा निषिद्ध होने पर किसी भी वर्ग या प्रकार या क्षेत्र के संस्थानों का अन्य पक्ष निरीक्षण नहीं किया जायेगा।
3. नियोजक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करेगा।

यदि कोई नियोजक अन्य पक्ष प्रमाण पत्र (Third party certification) योजना अपना लेता है और उसके पश्चात शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार लिखित रूप में प्राप्त शिकायत के सही पाये जाने पर किसी भी तृतीय पक्ष के प्रमाण पत्र को किसी भी समय सीमित अवधि या हमेशा के लिए रद्द कर सकेगी।

(प्रतीक झाड़ाड़िया)

श्रम आयुक्त

राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 04.03.2021

क्रमांक एफ.8(1)E.O.D.B/आई.आर./श्रम/2020 पार्ट-2/6281-03

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (मु0) राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त उद्योग एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
6. संबंधित/गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान जयपुर।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021—फाल्गुन 25, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2021

क्र. एफ 01-02-2020-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, शब्द तथा अंक "कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में", के स्थान पर, शब्द तथा अंक "कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस वर्ष तक की अवधि के लिए या अधिक वर्षों जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑन लाईन प्ररूप 3 में" स्थापित किए जाए.

No. F. 01-02-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, namely:—

AMENDMENT

In the said rule, in rule 6, in sub-rule (2), for the words and figure "register the factory and grant a licence online in from No. 3 for ten years or more as may be prescribed by the State Government", the words and figure "register the factory and grant a licence online in from No. 3 for a period upto ten years or more as may be prescribed by the State Government" Shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, उपसचिव.

ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಆ.ಸಿ.,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
P. RAVI KUMAR, I.A.S.,
Chief Secretary



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Government of Karnataka

No.KUM/DD/EODB/SBRAP/31/2020-21

Date: 08-03-2021

Sub: Ease of Doing Business - Mandating the use of Central
Inspection system.

Karnataka's industrial growth is guided by transparent procedures and sectoral policies that provide extensive support for new industries and entrepreneurs. One of the areas that the state shall emphasise is to synchronize all the compliance-based inspection services under one umbrella.

To achieve the objective, a Central Inspection System (CIS) has been developed by Karnataka Udyog Mitra, Department of Industries and Commerce. The Central Inspection System module is hosted on the State single window - ebiz portal (<http://kumcis.azurewebsites.net/>) for the following four departments:

1. Department of Factories, Boilers, Industrial Safety and Health
2. Labour Department
3. Karnataka State Pollution Control Board and
4. Legal Metrology Department

The above departments are instructed to issue a separate GO/Notification, mandating that all inspection procedure through Central Inspection System only. Also, departments to share the entire database of industry, inspection division/ zoning/circle mapping with inspector list and third party empanelled inspection

entities and other requisite details required for completion of integration and for scheduling of inspections.

The complete Central inspection System should be operationalised by 22.3.2021.

With regards,

Yours


(P. Ravi Kumar)

To,

1. Dr Rajkumar Khatri IAS, Additional Chief Secretary, Labour Department, Vikasa Soudha Bengaluru
2. Shri. Sandeep Dave, IAS, Additional Chief Secretary, Forest, Environment & Ecology Department, Karnataka Government Secretariat, M. S. Building, Bangaluru.
3. B.H Anil Kumar, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, M. S Building Bengaluru
4. Sri Akram Pasha, IAS, Commissioner, Labour Department, Karmika Bhavana, Bengaluru.
5. Shri Srinivasalu, IFS, Member Secretary, Karnataka State Pollution Control Board, Parisara Bhavan, Church Street, Bengaluru.
6. Shri.V Patharaju KAS, Controller, Legal Metrology Department, Ali Asker road, Bengaluru.
7. Sri K.Srinivas, Director, Department of Factories, Boilers, Industrial Safety and Health (FBIS), Karmika Bhavana, Bengaluru.

Government of West Bengal
Labour Department, I.R. Branch
New Secretariat Buildings, 12th Floor
1, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata – 700001

No: Labr/. 714 (20)/(LC-IR)/IR/7S-06/17

Date: 18-03-2021

From: The Principal Secretary to the Government of West Bengal

To : _____

(All Chambers of Commerce & Employer's Organizations)

Sub: General Elections to West Bengal Legislative Assembly, 2021.

Sir,

I am to state that, the Election Commission of India has announced the schedule for General Elections to West Bengal Legislative Assembly, 2021, to be held in 8(eight) phases, as per following schedule :

Phase	Date of Poll (Day)	No. of Assembly Constituencies
Phase- I	27.03.2021 (Saturday)	212-223, 228, 233-234, 236-250
Phase- II	01.04.2021 (Thursday)	127, 130-132, 203-211, 224-227, 229-232, 235, 251-258
Phase- III	06.04.2021 (Tuesday)	128-129, 133-146, 177-183, 195-202
Phase- IV	10.04.2021 (Saturday)	1-14, 147-157, 169-176, 184-194
Phase- V	17.04.2021 (Saturday)	15-27, 86-93, 111-126, 259-266
Phase- VI	22.04.2021 (Thursday)	28-36, 77-85, 94-110, 267-274
Phase- VII	26.04.2021 (Monday)	37-48, 55-65, 158-161, 275-283
Phase- VIII	29.04.2021 (Thursday)	49-54, 66-76, 162-168, 284-294

The list of Assembly Constituency Name & Number is detailed in Annexure-4, appended with this Notification.

It has been made obligatory on the part of the employers of any business, trade, industrial undertaking or any other establishments of the areas under the said Assembly Constituency to grant **paid holiday** on the day of Poll to their workmen who are entitled to cast vote in the election under the Representation of Peoples Act, 1951.

Section 135B of the Representation of Peoples Act, 1951 reads as follows:-

"Section 135B Grant of paid holiday to employees on the day of poll

1)i) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote an election to the House of people or the Legislative Assembly of a State, shall, on the day of Poll, be granted a holiday.

ii) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with Sub-section (1) and if such person is employed on the basis of that he would not ordinarily receive wages for such day, he shall none-the-less be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

iii) If an employer contravenes the provisions of sub- Section (1) or Sub-Section (2), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.

iv) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged".

2) The above provisions require that all establishments and shops including those which work on shift basis shall be closed on the day of poll in the Constituency where a General/Bye-election is to be held. However, there may be cases where a person is ordinarily resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the Constituencies having an Election. It is clarified that in such a Constituency concerned he would also be entitled to the benefit of a paid holiday extended under the Section 135B(1) of the Representation of the People Act, 1951.

3) The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the Representation of Peoples Act, 1951.

I am, therefore, to request you to advise your constituent members in whose units Monday / Tuesday / Thursday / Saturday is working day, to abide by section 135B of the Representation of Peoples Act, 1951 and grant a paid holiday on the day of poll, as mentioned in the aforesaid schedule, to all categories of workers and employees in the respective Assembly constituency, who are registered as electors, to enable them to exercise their right to franchise in the aforesaid Election.

Yours faithfully,

Ray

Principal Secretary

17/3/21
to the Govt. of West Bengal

NO. Labr/.714.(20)/1(13)/(LC-IR)

Date: 18-03-2021

Copy forwarded for information to:

01. The Labour Commissioner, West Bengal, New Secretariat Buildings. (11th Floor), 1, K.S. Roy Road, Kol - 1.
02. The Chief Inspector of Shops & Establishment, W. Bengal, 6, Church Lane, Kol-1.
03. The Home (C&E) Department, Govt. of W. Bengal. 21, N. S. Road, Kolkata-700001.
04. The Home (Poll) Deptt., Govt. of West Bengal., 4, Camac Street, Kolkata - 700017.
05. The Industries Commerce & Enterprises Department, Govt. of W.B., 4, Camac Street. Kol-17.
06. The Micro & Small Scales Enterprises and Textiles Deptt., Govt. of W. Bengal. Hemanta Bhaban, 12, B.B.D. Bag East, Kolkata- 700001.
07. The Public Enterprise & Industrial Reconstruction Deptt., Govt. of W. Bengal, 5, Council House Street, Kolkata - 700016.
08. The Home (Police) Department, Government of West Bengal. Nabanna, Howrah-711102.
09. Chief of the News Bureau, West Bengal, Nabanna, Howrah-711102.
10. The Deputy Director of Publicity, Information & Cultural Affairs Deptt, Govt. of W. Bengal, Nabanna, Howrah-711102. with a request to give immediate publicity of the matter through A.I.R, Doordarshan and leading daily Newspapers.
11. The Chief Electoral Officer, West Bengal, 21, N. S. Road, Kolkata - 700001.
12. The State Election Commission, 18, Sarojini Naidu Sarani (Rawdon Street), Kolkata - 700017.
13. Guard File.



Deputy Secretary
to the Govt. of West Bengal